प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/
अध्यक्ष, जनपद स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वयन समिति
जी0पी0डी0पी0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/
उपाध्यक्ष, जनपद स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वयन समिति
जी0पी0डी0पी0, उत्तर प्रदेश।
3. जिला पंचायत राज अधिकारी/
सदस्य सचिव, जनपद स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वयन समिति
जी0पी0डी0पी0, उत्तर प्रदेश।

सं0: RGSA/ 20)/2017–4/379/2015, लखनऊ, दिनांकः 20 मई, 2017

विषय– ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) हेतु 'जनपद स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वयन समिति' की बैठकों के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के फलस्वरूप पंचायतों द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वयं के विकास की योजना को तैयार किया जाना एवं उन्हें भारत सरकार के साफ्टवेयर–**'प्लान–प्लस'** पर अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है। ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम सभा की बैठक में जन समुदाय की आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्राथमिकीकरण करते हुए विभिन्न स्रोतों एवं योजनाओं से उपलब्ध होने वाले संसाधनों को अभिसरण कर सहभागी नियोजन द्वारा तैयार की जाती है। **'प्लान–प्लस'** पर अपलोड के पश्चात् कार्यो की भौतिक प्रगति **'एक्शन–साफ्ट'** साफ्टवेयर पर तथा **'प्रिया–साफ्ट'** साफ्टवेयर पर कार्यों का वित्तीय लेखा–जोखा रखा जाता है।

ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की जाने वाली कार्ययोजना अन्तर्गत लिए जाने वाले कार्यो का प्रत्येक स्तर पर अनुश्रवण किये जाने एवं विभागीय समन्वयन स्थापित करने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2015 के शासनादेश से **जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कियान्वयन एवं समन्वयन समिति** का गठन किया गया है। समिति योजना के कियान्वयन के अनुश्रवण की कार्यकारी समिति है। समिति के कार्यो के सम्बंध में पृथक से निर्देश शासनादेश सं0 3215/33–3–2015–10 जी.आई./2015, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 निर्गत किए गए है, छायाप्रति शासनादेश **संलग्नक–1**।

उक्त के सम्बंध में आप अवगत ही होंगे कि ग्राम पंचायतों को पॉच वर्षो में (वर्ष 2015–16 से 2019–20) 14वें वित आयोग अन्तर्गत रू0 35776.57 करोड़ एवं राज्य वित आयोग अन्तर्गत रू0 13049.65 करोड़ की धनराशि हस्तान्तिरत की जानी है। (वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में 14वें केन्द्रीय एवं चतुर्थ राज्य वित आयोग से जनपदों को प्रदान की गई धनराशि का विवरण **संलग्नक–2** पर उपलब्ध है।) इस प्रकार से गत वित्त आयोगों की तुलना में बढ़ी हुई धनराशि के प्रबंधन एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु आवश्यक होगा कि जनपद स्तर पर समिति की नियमित बैठकें हो एवं प्रकिया का अनुश्रवण एवं परिपालन किया जाए। जिला पंचायत राज अधिकारी का यह दायित्व है कि वह नियमित रूप से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति की बैठक का आयोजन

करायें। इस सम्बंध में कतिपय जनपदों से प्राप्त सूचना मे यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जनपदों में समिति की नियमित बैठकें आयोजित नही हो रही है जिससे ग्राम पंचायत विकास योजना का कियान्वयन प्रभावित हो रहा है। समिति की बैठक के आयोजन हेतु बिन्दुवार एजेण्डा तैयार कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित् किया जा रहा है कि **जनपद में आगामी 15 दिवस के अन्दर उक्त रूप से गठित समिति की बैठक का आयोजन कर उसमें निम्न एजेण्डा बिन्दुओं पर अनिवार्य रूप से चर्चा की जाए–**

एजेण्डा बिन्दु

1) वित्तीय वर्ष 2016–17 के कार्यो की फीडिंगः–

क– वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायतों द्वारा कराए गए कार्यो की एक्शनसाफ्ट पर फीडिंग की स्थिति एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति फीडिंग में आ रही समस्याओं पर समीक्षा। योजना को एक्शनसाफ्ट साफ्टवेयर पर फीड कराने हेतु खण्डवार दायित्व निर्धारण किया जाना आवश्यक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य तो किए जा रहा है परन्तु उनका अंकन एक्शनसाफ्ट पर नही किया जा रहा है, इस सम्बंध में निदेशालय द्वारा **संलग्नक–3** पर उपलब्ध कराए जा रहे प्रारूप के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव, अपनी ग्राम पंचायत में हुए कार्य की प्रगति को 15 दिवस के अन्दर ए.डी.ओ.(पं0) के संज्ञान में लाते हुए फीड कराये जाने हेतु उत्तरदायी बनाया जाए।

ख– ग्राम पंचायत सचिवों के ग्राम पंचायत में भ्रमण का दिवस रोस्टर बनाकर इस प्रकार सुनिश्चित किया जाए कि वह सप्ताह में कम से कम एक दिन प्रातः 10:00–12:00 बजे तक ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित रहने, उसके उपरान्त 3.00 बजे तक ग्राम पंचायत द्वारा कराए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्य की देख–रेख एवं फिर विभिन्न मुहल्लों/मजरों में जनता से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का निराकरण करें। इन्ही कार्य दिवसों में ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की बैठक के आयोजन की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए। उक्त कार्य का प्रभावी पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) अन्तर्गत जनपदों में स्थापित किए जा रहे वाररूम अथवा डी.पी.आर.ओ. कार्यालय से किया जाए।

2) वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यो का तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृतिः–

ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत कार्यो हेतु 14वें वित आयोग एवं राज्य वित आयोग से प्रत्येक ग्राम पंचायत को औसतन 17–18 लाख की धनराशि प्रतिवर्ष प्राप्त होती है, जिससे ग्राम पंचायत द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अनेकों कार्यो को अपनी कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाता है। **संलग्नक–4** में जनपदों में ग्राम पंचायतों द्वारा लिए गए कार्यो की वर्क आई.डी. के सापेक्ष तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन की संख्या का विवरण उपलब्ध कराया गया है। समिति द्वारा वर्क आई.डी. के सापेक्ष तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन की गैप एनालिसिस कर समस्या का प्रभावी हल निकाला जाने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत विकास योजना में कार्यो के तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन हेतु उपलब्ध व्यवस्था पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र 5/2017/158/33–3–2016–10 जी.आई./2015, दिनांक–23 जनवरी, 2017 द्वारा निर्देश निर्गत किए जा चुके है, छायाप्रति शासनादेश **संलग्नक–5** ।

3) वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में ग्राम पंचायतो का वित्तीय वार्षिक पुस्तिका की बंदीः–

वर्ष 2015–16 एवं वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायतों के कार्यो का वित्तीय लेखा–जोखा प्रियासाफ्ट साफ्टवेयर पर फीड कराना एवं वार्षिक पुस्तिका की बंदी किये जाने की प्रगति।

4) ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्तियों की मैपिंग एवं जी.ओ. टैगिंगः–

क– योजना बनाकर जनपद की ग्राम पंचायतों में उपलब्ध अचल सम्पत्तियों को नेशनल एसेट डायरेक्ट्री(नेड) पर 25 मई 2017 तक अंकन किया जाना।

ख– स्पेटियल इन्यूमरेटर के माध्यम से दिनांक 31 मई 2017 तक ग्राम पंचायतों में उपलब्ध अचल सम्पत्तियों की फोटो को मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन–एम0एसेट के द्वारा कैप्चर कर जी.ओ0 टैगिंग किया जाना है। स्पेटियल इन्यूमरेटर एवं मोबाइल बैस्ड एसेट मैपिंग के सम्बंध में दिनांक 14 जुलाई, 2016 से निर्देश निर्गत किए जा चुके है, छायाप्रति शासनादेश **संलग्नक–6** ।

5) ग्राम पंचायतों के कार्यो मे पारदर्शिता लाने हेतु वॉल पेंटिग/ फ्लैक्स बोर्ड की स्थापनाः– समिति, पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्ययोजना 2016–17 अन्तर्गत कराए गए कार्यो तथा आय एवं व्यय की स्थिति एवं वर्ष 2017–18 की कार्ययोजना में लिए जाने वाले कार्यो को **संलग्नक–7** में उपलब्ध विवरण के अनुसार पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर वालपेंटिंग अथवा फ्लैक्स बोर्ड पर अंकित के किये जाने हेतु ग्राम पंचायतों को सलाह प्रदान किए जाने पर विचार कर सकती है। इस सम्बंध में दिनांक 26.02.2016 को सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित विडियों कान्फ्रेंसिंग में जनपदों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। (विडियों कान्फेंसिंग कार्यवृत्त **संलग्नक–7)**

6) वित्तीय वर्ष 2017–18 में ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) बनाए जाने की प्रगतिः–

क) वित्तीय वर्ष 2017–18 में कितने ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजनाएं तैयार की जा चुकी है एवं कितनी योजनाएं प्लान–प्लस साफ्टवेयर पर अपलोड की जा चुकी है ?

ख) क्या किसी ग्राम पंचायत द्वारा 14वें केन्द्रीय अथवा चतुर्थ राज्य वित आयोग अन्तर्गत धनराशि प्राप्त नही होने की शिकायत दर्ज कराई गई है, यदि हॉ तो डी.पी.आर.ओ. द्वारा इस सम्बंध में क्या कार्यवाही/ व्यवस्था की गई है?

ग) ग्राम पंचायत विकास योजना के दिनांक 29 सितम्बर 2015 से जारी मार्गनिर्देशों के अनुरूप चार्ज आफिसर के नेतृत्व में न्याय पंचायतवार ग्राम पंचायत रिसोर्स समूह को सकिय किया जाने हेतु निर्देश निर्गत किया जाना ताकि वो अपने क्षेत्र में कार्ययोजना तैयार किए जाने एवं कार्यो के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी समूह की भूमिका का निर्वहन कर सके।

घ) सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने हेतु सहभागी पद्वति–पी.आर.ए. एवं तकनीकी बिन्दुओं पर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण ग्राम प्रधान एवं नियोजन समिति के सदस्यों एवं अन्य खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण एवं धनराशि उपभोग की स्थिति एवं उपभोग प्रमाण–पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना। जी.पी.डी.पी. अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु जनपदवार प्रेषित् धनराशि एवं प्रशिक्षण की स्थिति का विवरण **संलग्नक–8** पर उपलब्ध है।

ड.) क्या समस्त विकासखण्डों को ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किए जाने, सामुदायिक आवश्यकताओं के आंकलन, एवं ग्राम सभा की बैठक की तिथि निर्धारण करने सम्बंधी निर्देश निर्गत किए गए है?

च) जनपद स्तर से ग्राम सभा की बैठकों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों/ कर्मियों के उपस्थिति का रोस्टर निर्धारित करते हुए निर्देश निर्गत किया जाना।

छ) योजना को प्लान–प्लस साफ्टवेयर पर फीड कराने हेतु स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित मानव संसाधन, कम्प्यूटर एवं इंटानेट, अभिलेखो का रखरखाव आदि की उपलब्धता हेतु क्या व्यवस्था की गई है?

7) 14वें वित्त आयोग अन्तर्गत तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की धनराशि के उपभोग के सम्बंध में:–

14वें वित्त आयोग अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को तकनीकी एवं प्रशासनिक मद में 10 प्रतिशत की धनराशि, मानव संसाधन, कम्प्यूटर, एवं सहवर्ती उपकरणों, इंटरनेट, टी0ए0, फर्नीचर, लेखा, योजना तैयार करने, पी.आर.ए., आई.ई.सी., मानचित्रीकरण एवं अन्य अभिलेख तैयार करने, परामर्शीय सेवाओं आदि विभिन्न गतिविधियों हेतु उपलब्ध कराई गई है। उक्त रूप से

बुनियादी अनुदान की 10 प्रतिशत धनराशि का 64.5 प्रतिशत, विकास खण्ड स्तर पर एवं 35.5 प्रतिशत ग्राम पंचायत स्तर पर सुरक्षित रखा गया है। ग्राम पंचायतें वार्षिक कार्ययोजना में लिए गए कार्यों हेतु आगणन तैयार कराया जाना, एम0बी0 कराना एवं खण्ड स्तर पर कम्प्यूटर आपरेटर की व्यवस्था, शासनदेश सं0 234/33-3-2016-2/2016, दिनांक 18 फरवरी, 2016 से निर्गत निर्देशों एवं साफ्टवेयर पर फीडिंग के सम्बंध में विभाग के दिनांक 27 जनवरी, 2017 के पत्र से निर्गत आदेशों के अनुरूप स्वयं के स्तर पर कर सकती है छायाप्रति शासनादेश एवं पत्र **संलग्नक-9** ।

8) प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल शौचालयों की मरम्मत एवं रखरखाव:-

चौहदवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आवंटित धनराशि से प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल शौचालयों की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु निदेशालय के पत्र सं0 5/867/2017-5/41/2017, दिनांक 20 मई, 2017 के अनुरूप कियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित् किया जाना। छायाप्रति पत्र **संलग्नक-10**

9) आंगनबाड़ी शौचालय की मरम्मत एवं रखरखाव:-

चौहदवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आवंटित धनराशि से आंगनबाड़ी शौचालय की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु पत्र सं0 5/868/2017-5/41/2017, दिनांक 20 मई, 2017 के अनुरूप कियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित् किया जाना। छायाप्रति पत्र **संलग्नक-11**

10) एजेण्डा हेतु अन्य बिन्दुओं का समावेश:-

समिति उपरोक्त रूप से उल्लेखित बिन्दुओं के अतिरिक्त अपने जनपद में योजना के कियान्वयन एवं शासनादेश सं0 3215/33-3-2015-10 जी.आई./2015, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 से निर्गत दायित्वों के अनुसार अन्य किसी भी बिन्दु को भी बैठक के एजेण्डा में सम्मिलित करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः उक्त रूप से अनुरोध है कि उल्लेखित एजेण्डा बिन्दुओं पर जनपद स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वयन समिति की बैठक 15 दिवस के अन्दर आयोजित करने एवं बैठक की कार्यवाही को विभागीय ई-मेल पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: उक्तानुसार।

भवदीय

(विजय किरन आनन्द)
निदेशक।

सं0: RGSA/201/1/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याही हेतु

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त मंडलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित् कि पृथक से अपने मंडल में जी.पी.डी.पी तैयार किए जाने व 14वें केन्द्रीय एवं चतुर्थ राज्य वित्त में लिए गए कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अंकन एक्शनसाफ्ट व प्रियासाफ्ट साफ्टवेयर पर करने में आ रही कमियों का विश्लेषण करते हुए निदेशालय को सूचित करने का कष्ट करें।

(विजय किरन आनन्द)
निदेशक।